WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

FEBRUARY 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- बैंकिंग योजनाओं का लाभ उठाकर पुनर्जीवित करें उद्योग
- आयकर निवेश दस्तावेज जमा नहीं किया तो कट जाएगा वेतन
- माफ़ी मांग कर बिना जुर्माना भरे आयकर रिटर्न दाखिल करें
- आयकर के नए नियम से हैंडलूम व्यापारी परेशान
- आईटीआर फॉर्म 2, 3, 5 अधिसूचित
- 80 लाख करदाताओं के खिलाफ मामले बंद करेगा आयकर विभाग
- करदाताओं के हित में और आसान होगी आइटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया
- आयकर के बदले नियम से 500 करोड़ रूपये का कारोबार बाधित
- निर्यातक बनना चाहते हैं तो सरकार करेगी आपकी मदद
- निर्यातकों के लिए नया पोर्टल आएगा
- ई- कॉमर्स निर्यातकों को भी रोड़टेप स्कीम का लाभ
- तैयारी: बिजली चोरी रोकेगी 'एमआरआई'
- सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए दो ताप विधुत परियोजनाओं को मंजूरी
- जीएसटी पंजीकरण के तीस दिन में बैंक ब्योस देना होगा
- ई-वे बिल का पार्ट न भरने पर पेनाल्टी लगाना गलत
- सेमी कंडक्टर नीति में भूमि खरीद पर 75% छूट
- व्यावसायिक होंगे नगर के बीच आने वाले औधोगिक भूखंड
- मेरठ समेत चार जिलों में औधोगिक पार्क बनेंगे
- ईपीएफओ: जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं
- एमएसएमई को बढ़ावा देने पर चीन होगा फेल: योगी
- होटलों का प्रापर्टी टैक्स होगा कम
- आवास विकास के मानचित्र और शमन शुल्क में 20% की बढ़ोतरी
- Key Interim Budget Announcements - 2024
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

बैंकिंग योजनाओं का लाभ उठाकर पुनर्जीवित करें उद्योग

एमएसएमई की बैंको से संबंधित विभिन्न समस्याओं एंव योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए बाम्बे बाजार स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स में बैंकिंग सेवाओं पर गोष्ठी आयोजन किया गया। जिसमें केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी। चेंबर के अध्यक्ष डा. रामकुमार गुप्ता ने मोहित चोपड़ा को सम्मानित किया, जिन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार प्लास्टिक उत्पाद के निर्यात के लिए हाल ही में प्रदान किया गया। इसके बाद केनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने कृषि ऋण, उधमी, व्यवसाय और केनरा स्टार जो प्रमुख रूप से एमएसएमई के लिए है। इसके बाद वरिष्ठ शाखा प्रबंधक नरेश कुमार ने ग्राहक सेवा के प्रति बैंक का विजन स्पष्ट किया। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने बैंक के सैलेरी खाते और दुर्घटना बीमा की जानकारी दी। साथ ही एमएसएमई प्राइम प्लस, एमएसएमई एक्सपोर्ट प्राइम, ई डीलर योजना और व्यापार उद्योगों को पुनजीर्वित करने के उपाय बताए।

आयकर निवेश दस्तावेज जमा नहीं किया तो कट जाएगा वेतन

अगर आप नौकरीपेशा हैं व आपका वेतन कर के दायरे में आता है तो निवेश संबंधी दस्तावेज 31 मार्च, 2024 से पहले कंपनियों के पास जमा कर दें। दस्तावेज नहीं देने पर आपको ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा। इसका असर आपके हाथ में आने वाले वेतन पर पड़ेगा। अगर तय अवधि से पहले अपने कर स्लैब के मुताबिक किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो आप इसकी जानकारी बाद में आईटीआर दाखिल करते समय देकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

80सी में कर छूट के लिए जरूरी दस्तावेज

किराये की रसीद: किराया सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा होने पर मासिक किराया रसीद। इसमें मकान मालिक के नाम के साथ पैन कार्ड जरूरी। किराये के नकद भुगतान पर रेंट रसीद, जिस पर राजस्व टिकटें होनी चाहिए।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस, बच्चों की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से जुड़े दस्तावेज।

होम लोन: अगर आपने संपत्ति के लिए कोई होम लोन लिया है और बैंक को हर साल मूलधन का भुगतान करते हैं तो इस पर आयकर नियमों के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसे पाने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। कुछ मामलों में बिल्डर से प्राप्त प्रमाणपत्र भी देना पड़ता है।

इन तरीकों से भी बचा सकते हैं गाढ़ी कमाई

80डी: इसके तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। अगर खुद के लिए, जीवनसाथी या बच्चों के लिए प्रीमियम भरते हैं तो 25,000 रुपये तक कर बचा सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम देते हैं तो 50,000 रुपये तक

छूट पा सकते हैं। अगर करदाता व माता-पिता दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं तो एक वित्त वर्ष में एक लाख रुपये तक छूट का दावा।

80सीसीडी (1बी): एनपीएस टियर-1 खाते में निवेश पर 50,000 रुपये तक की छूट। यह 80सी से अलग है। इस तरह, आप दो लाख रुपये तक की राशि पर छूट पा सकते हैं यानी 80सी के तहत 1.5 लाख व 80सीसीडी 1(बी) के तहत 50,000 रुपये।

आयकर कानून की धारा 80 यू, 80ईईए, 80टीटीए, 80टीटीबी और 80ई के तहत भी आयकर रिटर्न भरते समय आप छूट का दावा कर सकते हैं।

तो रिटर्न दाखिल करने में आसानी

स्वीटी मनोज जैन, निवेश सलाहकार का कहना है कि कंपनियां प्रस्तावित निवेश से जुड़े दस्तावेज मांगती हैं और उसी आधार पर हर माह टैक्स काटती हैं। वित्त वर्ष के अंत तक अगर प्रस्तावित रकम से कम निवेश करते हैं तो जनवरी, फरवरी व मार्च में उसके हिसाब से आपके वेतन से ज्यादा टीडीएस काटा जाता है। कंपनी को निवेश की सही जानकारी देने पर रिटर्न भरना भी आसाना होता है।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-2221763

माफ़ी मांग कर बिना जुर्माना भरे आयकर रिटर्न दाखिल करें

यदि किसी करदाता ने 31 दिसंबर 2023 की समयसीमा के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है या ई-सत्यापन नहीं किया है तो उनके पास आखिरी विकल्प उपलब्ध है। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को ऐसी सुविधा भी देता है, जिसमें वे माफी मांगकर बिना जुर्माना भरे आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

इस तरह दाखिल करें माफी याचिका

- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां अपने खाते में लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद सर्विसेज विकल्प में जाना होगा। मेनू को स्क्रॉल करने पर condonation Request का विकल्प दिखेगा।
- इस पर क्लिक करने पर क्षमादान अनुरोध के प्रकार का चयन करें। इसके बाद आप 'आईटीआर-वी जमा करने में देरी' पर क्लिक कर सकते हैं।
- इसके बाद सिस्टम माफी अनुरोध के लिए विकल्प देता है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है।
- पहले चरण में आपको आईटीआर चुनना होगा। इसके बाद देरी का कारण बताना होगा। आखिरी चरण में अनुरोध सब्मिट करना होगा।

ऐसे उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ

समयसीमा चूकने पर आयकरदाता पर जुर्माना लगाया जाता है। यदि कोई करदाता विभाग की वेबसाइट पर जाकर देरी के लिए माफी याचिका दाखिल करता है तो उसे इससे राहत दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में करदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी के लिए कारण बताते हुए माफी मांगनी पड़ती है।

आयकर के नए नियम से हैंडलूम व्यापारी परेशान

खंदक बाजार में हैंडलूम वस्त्र व्यापारी संघ ने गोष्ठी का आयोजन किया। अध्यक्ष अंकुर गोयल ने कहा आयकर नियम 43 बी (एच) के लागू होने से दिसंबर से व्यापार प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा को समस्याओं से अवगत कराया। अंकुर गोयल ने बताया कि मेरठ से बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत के राज्यों को चादर, कवर आदि भेजे जाते हैं। यह क़ानून लागू होने से बहुत से व्यापारियों ने माल वापस करने भी शुरू कर दिए हैं नए आर्डर नहीं मिल रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि इस क़ानून में 45 दिन के अंदर भुगतान करने का नियम बनाया गया है। इसके बाद पेनाल्टी लगेगी। लेकिन हैंडलूम वस्त्रों के व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी परस्पर सुविधानुसार भुगतान की तिथि तय करते हैं।

आईटीआर फॉर्म 2, 3, 5 अधिसूचित

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024- 25 का कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आकलन वर्ष 2024- 25 में रिटर्न जमा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को ये फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:
6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:
Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

80 लाख करदाताओं के खिलाफ मामले बंद करेगा आयकर विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, आयकर विभाग 80 लाख करदाताओं के खिलाफ 3,500 करोड़ रुपये की लंबित छोटी-मोटी कर मांगों को खुद ही खत्म कर देगा। कर विभाग के रिकॉर्ड से ऐसी मांगें हटा दी जाएंगी। करदाता को कुछ भी नहीं करना है और हम उनसे कोई भी संपर्क नहीं करेंगे। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देते हुए स्पष्ट आदेश जारी होगा। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया करदाता के लिए प्रतिकूल नहीं होगी। लेकिन, इन मांगों को व्यक्तिगत करदाताओं के ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाला जाएगा ताकि वे भी देख सकें और उसमें समस्या होने पर विभाग समाधान करेगा।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, आयकर विभाग को पिछले दो वर्षों में करदाताओं को ओर से दाखिल 56 लाख अपडेटेड आयकर रिटर्न से करीब 4,600 करोड़ रूपये का कर मिला है।

- करदाता के पास मांगों के संबंध में सुधार जैसा कोई मुद्दा है या रिफंड का मामला लंबित है तो इसका ध्यान रखा जाएगा।
- अंतरिम बजट में 25,000 रूपये तक की पुरानी बकाया कर मांगो को वापस लेने की घोषणा की गई है।
- सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, हम लगातार सेवाओं में सुधार कर रहे है और मुकदमेबाजी मुक्त माहौल बना रहे है।
- आईटी विभाग ने मैसूरु में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। यह एक करोड़ रूपये से अधिक की लंबित कर मांगों का निपटारा कर रहा है।

करदाताओं के हित में और आसान होगी आइटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि सरकार के लिए करदाताओं की सुविधा को बढ़ाना एक अहम प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार कोशिश जारी रहेगी। खासतौर पर आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश हो रही है। विभाग पहले से ही आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस (एआइ) का प्रयोग कर रहा है।

साथ ही कोशिश है कि एआइ और दूसरी प्रौधोगिक का प्रयोग बढ़ाया जाए ताकि करदाता को भी सहूलियत हो और प्रशासन का काम भी ज्यादा दुरुस्त हो। गुप्ता ने अंतरिम बजट 2024- 25 पेश करने के बाद दैनिक जागरण के साथ विशेष बातचीत में उक्त बातें कहीं।

अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निश्चित अवधि के दौरान विभाग की तरफ से आयकरदाताओं के जुर्माने की छोटी- छोटी राशियों की मांगों को निरस्त करने का प्रस्ताव किया था। इससे एक करोड़ आयकरदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सीबीडीटी चेयरमैन का कहना है कि यह प्रक्रिया काफी आसान होगी और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इस घोषणा को इस तरह से लागू किया जाए कि जिन आयकरदाताओं को फायदा होने वाला है उन्हें मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े। आयकर विभाग अपने स्तर पर ही इन मांगों को निरस्त कर देगा और इन्हें विभाग के रिकार्ड से निकल दिया जाएगा। इससे जुड़ी सारी सूचना ई- फाइलिंग पोर्टल में दी जाएगी ताकि संबंधित आयकरदाता भी इसे देख सके और अगर किसी चीज़ से उसे आपत्ति हो तो उसे सामने ला सके। वित्त मंत्री ने बताया था कि वित्त वर्ष 2009- 10 तक की अवधि से संबंधित 25 हजार रूपये तक की और वर्ष 2010- 11 से वर्ष 2014- 15 से संबंधित 10,000 रूपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लिया जाएगा।

सीबीडीटी संभवत: भारत सरकार का पहला विभाग है, जिसने एआइ का इस्तेमाल किया है। प्रौधोगिकी की वजह से ही आयकर विभाग बहुत ही कम श्रम- शक्ति होने के बावजूद बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीबीडीटी में अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों की भी कमी है।

सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा, बजट में घोषित नीति के अनुसार एक करोड़ मुकदमों को खुद ही खत्म कर देगा विभाग

इससे जुड़ी सूचना ई- फाइलिंग पोर्टल में दी जाएगी ताकि अगर आयकरदाताओं को आपत्ति है तो उसे सामने ला सकें

आयकर के बदले नियम से 500 करोड़ रूपये का कारोबार बाधित

एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए आयकर के नियम 43 बीएच के अनुसार 45 दिन में भुगतान की बाध्यता ने कपड़ा, जूता सहित 500 करोड़ के कारोबार को बाधित कर दिया है। मेरठ से केरल, सूरत आदि शहरों में भेजा गया माल वापस आ गया है। इसके साथ ही नए आर्डर भी निरस्त कर दिए गए हैं।

शहर के छोटे रिटेलर इस नियम से सर्वाधिक प्रभावित हैं। खंदक व्यापारियों ने नए नियम को लेकर आंदोलन शुरु कर दिया है। हालांकि एमएसएमई इस नए नियम को अपने लिए संजीवनी बता रही हैं। सीए अनुपम शर्मा ने बताया कि आयकर के नियमानुसार एमएसएमई से खरीद का डिडक्शन व्यापारी को तभी मिलेगा अगर 45 दिन में उसका भुगतान कर रहे। अगर भुगतान के लिए एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो हर हाल में भुगतान 15 दिन में करना होगा।

इस नए नियम से शहर की 60 हजार व्यापारियों को एमएसएमई का लाभ हुआ है लेकिन 1 लाख से अधिक छोटे कारोबारी इस नए नियम से प्रभावित हो गए हैं। सीए केपी सिंह ने बताया कि अगर कोई व्यापारी एक करोड़ की कपड़ा, धागा, साड़ी, पैकिंग उत्पाद, हीरे आदि की खरीद करता है और 45 दिन में भुगतान नहीं करता तो पूरी राशि उसकी आय में जुड़ जाएगी। ऐसे में व्यापारी को 30 से 35 लाख तक कर देना होगा। हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष अंकुर गोयल सहित अन्य ने यह परेशानी बताई।

THE RUG REPUBLIC

Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

निर्यातक बनना चाहते हैं तो सरकार करेगी आपकी मदद

छोटे-छोटे शहर व ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवा उद्यमी भी अब आसानी से निर्यातक बन सकेंगे। इस काम में सरकार उनकी मदद करेगी। इस मदद के लिए अगले दो-तीन माह में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफार्म लॉन्च करने जा रहा है जहां निर्यात व आयात संबंधी सभी प्रकार की जानकारी के साथ भविष्य में उन्हें वित्तीय मदद की भी सुविधा दी जाएगी।इस प्लेटफार्म पर डीजीएफटी की तरफ से हेल्पडेस्क भी शुरु की जाएगी ताकि निर्यातक बनने के इच्छुक उम्मीदवार को हर सवाल का सही जवाब मिल सके।

विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी ने बताया कि ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफार्म आकांक्षी निर्यातकों की सभी समस्याओं के समाधान का सिंगल विंडो की तरह होगा जहां उन्हें सभी भाषाओं में निर्यातक बनने में आने वाली चुनौतियों से लेकर उसके समाधान की जानकारी दी जाएगी। दुनिया के कौन से बाजार में किन वस्तुओं की मांग है और उस बाजार तक पहुंचने में सरकार क्या मदद कर सकती है, व्यापार संबंधी किसी विवाद के होने पर क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, किन वस्तुओं पर किसी देश में कितना शुल्क लगेगा, शिपिंग व लॉजिस्टिक सेवा हासिल करने के लिए क्या करना होगा जैसी तमाम बातों की जानकारी इस पोर्टल पर होगी। उन्होंने बताया कि लांचिंग के बाद प्लेटफार्म पर वित्तीय सहायता व कारोबारी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। निर्यातकों को ई-निर्यात में भी मदद दी जाएगी। अभी डीजीएफटी के पोर्टल से 12.56 लाख निर्यातक व आयातक जुड़े हुए हैं।

- जल्द लांच होने वाला है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफार्म, हेल्पडेस्क भी शुरु करेगा डीजीएफटी
- छोटे शहर और ग्रामीण उद्यमियों को उत्पाद बेचने से लेकर वित्तीय मदद की भी मिलेगी सुविधा

निर्यातकों के लिए नया पोर्टल आएगा

वाणिज्य मंत्रालय इच्छुक निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क के बारे में विवरण सहित सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अगले दो- तीन महीनों में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि पोर्टल निर्यात गतिविधियों से जुड़ने के बारे में एक ही जगह पर सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का काम करेगा और अन्य लाभ आसानी से प्राप्त करने के बारे में भी सूचना देगा।

ई- कॉमर्स निर्यातकों को भी रोड़टेप स्कीम का लाभ

ई-कॉमर्स निर्यातकों को अब सामान्य निर्यातकों की तरह रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (रोडटेप) स्कीम का लाभ मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि रोडटेप स्कीम के इस विस्तार से डाक विभाग और कूरियर के माध्यम से निर्यात करने वाले एमएसएमई व छोटे निर्यातकों को लाभ मिलेगा। इन छोटे निर्यातकों की लागत में कमी आएगी और उन्हें निर्यातक बनने का मौका मिलेगा और देश का निर्यात भी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि इन छोटे निर्यातकों की लागत में कमी आएगी और उन्हें निर्यातक बनने का मौका मिलेगा और देश का निर्यात भी बढ़ेगा। अभी रोडटेप स्कीम का लाभ सिर्फ सामान्य निर्यातकों को मिलता है। जल्द ही वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ई-कॉमर्स निर्यात के लिए रोडटेप स्कीम को अधिसूचित कर देगा। अभी ई-कॉमर्स निर्यात की सीमा पांच लाख रुपए तक की है जिसे बढ़ा कर 10 लाख किया जा रहा है। माल भेजने के लिए 1000 डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं। गोयल ने एमएसएमई की सुविधा के लिए ई-कॉमर्स निर्यात पर हैंडबुक भी जारी किया। इससे एमएसएमई या छोटा कारोबारी निर्यातक बनने की प्रक्रिया जान सकेगा।

ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करने के लिए मुख्य रूप से पैन नंबर, बैंक खाता व अथॉराइज्ड डीलर (एडी) कोड, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड (आईईसी) व जीएसटीआइएन होना जरूरी है। ई-कामर्स निर्यात बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय बड़े-बडे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ समझौता कर रहा है ताकि इन छोटे उद्यमियों को निर्यात के लिए आसानी से बाजार उपलब्ध हो सके। कुछ दिन पहले इस सिलसिले में अमेजन से समझौता किया गया था। ई-कॉमर्स

प्लेटफार्म शिपराकेट के साथ समझौता किया गया। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि इस साल अब तक 80 करोड़ डॉलर का ई-कॉमर्स निर्यात हो चुका है।

टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, जेम्स-ज्वैलरी, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे सेक्टर में ई-कॉमर्स निर्यात की बड़ी संभावना है और अब बीटूसी (बिजनेस टू कंज्यूमर) निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इसमें मदद के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है।

- योजना के विस्तार से लागत में आएगी कमी
- कूरियर व पोस्ट ऑफिस से कर सकेंगे निर्यात
- ई- कॉमर्स निर्यात पर जारी की गई हैंडबुक

तैयारी: बिजली चोरी रोकेगी 'एमआरआई'

पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में बिजली चोरी रोकने एवं मीटर रीडर पर नजर रखने के लिए एमआरआई (मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट) से मीटर की रीडिंग ली जाएगी। इसकी शुरुआत मेरठ शहर से हो गई है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020

दस किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले मीटरों के एमआरआई से बिजली बिल बनाए जा रहे थे, अब पांच किलोवाट से नौ किलोवाट तक के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर लगे मीटरों की एमआरआई के जरिए बिलिंग होगी। इसके न सिर्फ बिजली चोरी रुकेगी, बल्कि मीटर में हुई छेड़छाड़ का पता भी आसानी से चल जाएगा।

एमडी चैत्रा वी. के निर्देशों के बाद पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में पावर कारपोरेशन अधिकारियों ने एमआरआई की तैयारी करा ली। इसके लिए अलग-अलग कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरठ की जिम्मेदारी साईं कंप्यूटर्स को मिली है। मेरठ शहर में कंपनी ने एमआरआई (मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट) से मीटर रीडिंग की शुरुआत करा दी।

मीटर रीडर मैनुअल तरीके से बिजली मीटरों की रीडिंग लेते थे, जिससे मीटर में हुई छेड़छाड़ का पता नहीं चलता था। लाइन लॉस कम करने एवं बिजली चोरी रोकने को मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल शुरू कराया है।

ऐसे काम करेगी मशीन: एमआरआई को मीटर के सामने रखते ही इसमें लगा कैमरा ऑन हो जाता है, जो मीटर का फोटो खींचकर पूरा डेटा स्कैन कर लेता है। इससे मीटर में की गई गड़बड़ी का तुरंत पता लग जाता है। उधर एमआरआई में जीपीएस भी लगा है, जिससे मीटर रीडर की लोकेशन आसानी से पता चल जाएगी।

मेरठ शहर में पांच से नौ किलोवाट तक के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिजली मीटर का एमआरई शुरू करा दी। मीटर में गड़बड़ी, बाईपास कर बिजली चलाने, शंट, मीटर के आउट रहने की जानकारी मिल जाएगी। मीटर रीडर जो रीडिंग छोड़ देते थे, डिमांड कम भर देते थे अब वह नहीं चलेगा । एमआईआई पूरा डाटा और प्रत्येक जानकारी सामने आ जाएगी।

एमआरआई की क्यों पड़ी जरूरत

बार -बार असेसमेंट को लेकर हो रहे उपभोक्ताओं व बिजली विभाग में विवाद एंव बिजली उपभोग को सही निर्धारण नहीं होने के कारण एमआरआई की जरूरत पड़ी है। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि मीटर के एमआरआई हो जाने से उपभोक्ता की सही बिलिंग होने लगेगी। वही

वितरण एंव परीक्षण खंडो से इन उपभोक्ताओं की मानीटरिंग भी होने लगेगी। ऐसा होने से मीटर व डिमांड में आ रहे अंतर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। एमडी के इस निर्णय से बिजली विभाग को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। जिन मीटरों से बाईपास कर चोरी हो रही होगी उसकी भी जानकारी हो सकेगी।

सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए दो ताप विधुत परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2,260 मेगावाट क्षमता वाली दो ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) एवं महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) को 5,607 करोड़ के इक्विटी निवेश की मंजूरी दे दी।

एसईसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि. के साथ 1×660 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगी। इसी तरह, एमसीएल महानदी बेसिन पावर लि. के जरिये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 2×800 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगी। इनका मकसद देश को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

वित्त आयोग की मदद को बनेंगे अधिकारी स्तर के तीन पद...

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में वित्त आयोग की मदद के लिए संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों को बनाए जाने को स्वीकृति दी गई। इनमें संयुक्त सचिव के दो और आर्थिक सलाहकार का एक पद शामिल है।

सेमीकंडक्टर पर ईयू के साथ एमओयू को मंजूरी

कैबिनेट ने ईयू-भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसकी आपूर्ति शृंखला एवं इनोवेशन पर कार्य व्यवस्था को लेकर भारत सरकार और यूरोपीय आयोग के बीच 21 नवंबर, 2023 को हस्ताक्षर किए गए एमओयू को मंजूरी दी।

तीन देशों के साथ स्वास्थ्य उत्पादों के विनियमन को मंजूरी...

कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ अलग-अलग ज्ञापनों को मंजूरी दी। इसके अलावा डिजिटल समाधान साझा करने पर केन्या के साथ एमओयू को स्वीकृति दी गई।

जीएसटी पंजीकरण के तीस दिन में बैंक ब्योस देना होगा

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा है कि कंपनियों को निलंबन से बचने के लिए जीएसटी पंजीकरण के 30 दिन के भीतर जीएसटी अधिकारियों को वैध बैंक खाते का ब्योरा देना होगा।

जीएसटीएन ने जीएसटी- पंजीकृत कंपनियों के लिए एक परामर्श ने कहा कि सभी पंजीकृत करदाताओं को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या जीएसटी आर- 1/ आईएफएफ दाखिल करने की तय तारीख से पहले, जो भी पहले हो, अपने बैंक खाते का ब्योरा देना जरुरी है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे: जीएसटीएन ने कहा कि एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके तहत जिन करदाताओं का पंजीकरण बैंक खाते का विवरण जमा नहीं करने के कारण निलंबित कर दिया गया है, उन्हें फॉर्म आरईजी-31 के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ऐसी कंपनियों को आगे कोई भी जीएसटीआर-1 आइएफएफ दाखिल करने से भी वंचित कर दिया जाएगा।

ई-वे बिल का पार्ट न भरने पर पेनाल्टी लगाना गलत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जीएसटी एक्ट की धारा 129(3) के तहत ई- वे बिल का पार्ट बी न भरने के कारण यदि टैक्स चोरी की मंशा न रही हो तो पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ इटावा की रोली इंटरप्राइजेज की याचिका पर उसके अधिवक्ता शुभम अग्रवाल को सुनने के बाद याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने रोली इंटरप्राइजेज के खिलाफ पेनाल्टी आदेश व इसके विरुद्ध अपील ख़ारिज करने के आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने छह सप्ताह में याची की सिक्योरिटी मनी वापस करने का निर्देश भी दिया है। याची के अधिवक्ता शुभम अग्रवाल का कहना था कि ई- वे बिल का पार्ट बी भरने से छूट गया था। याची की मंशा टैक्स चोरी की नहीं थी। उनका कहना था कि इनवॉइस के विपरीत वाहन में माल नहीं पाया गया। ई- वे बिल न भरना टैक्स चोरी नहीं माना जा सकता। इसलिए उस पर पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती।

सरप्लस अध्यापकों वाले जिलों में स्थानांतरण न करने का निर्णय सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्थानांतरण नीति के तहत स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिक संख्या अध्यापकों के जिलों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं करने का निर्णय सही है। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय न तो मनमाना है और न ही विधि विरुद्ध है। इसलिए सरकार की नीति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति के क्लाज चार में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी है।

कैबिनेट के फैसले

सेमी कंडक्टर नीति में भूमि खरीद पर 75% छूट

योगी सरकार ने अपनी नई सेमी कण्डक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए यूपी विदेशी निवेश आकर्षित कर सेमीकण्डक्टर उद्योग में अग्रणी बनने की मुहिम अब तेज करेगा। नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली वित्तीय मदद का 50 प्रतिशत यूपी सरकार अपनी ओर से देगी। इसके अलावा 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाईयों को पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

200 एकड़ जमीन खरीदने पर 75 फीसदी लैंड सब्सिडी

जमीन खरीदने पर स्टांप व निबंध शुल्क में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। 200 एकड़ जमीन खरीदने पर 75 प्रतिशत लैंड सब्सिडी दी जाएगी और अतिरिक्त जमीन खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। आईटी विभाग द्वारा तैयार इस नीति के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी देते हुए आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश को सेमी कण्डक्टर ईको सिस्टम का केन्द्र बनाने, रोजगार सृजन करने , कौशल विकसित करने तथा राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

इस उद्योग में पानी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए यूपी सरकार निवेश कंपनियों को भरपूर पानी भी उपलब्ध कराएंगी । उन्होने कहा कि ओडिशा, गुजरात व तमिलनाडू के बाद सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला यूपी चौथा राज्य बन गया। यह नीति पांच साल के लिए होगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन नोडल संस्था होगी। नोडल संस्था एक परियोजना प्रबन्धन इकाई भी बनाएगी। नोडल संस्था के कार्य -कलापों की दे देख-रेख के लिए आईटी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई बनेगी। नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी कैबिनेट ही देगी। इसके लिए सशक्त समिति की अनुशंसा जरूरी होगी।

निजी कंपनियों को यह अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे

- 10 साल तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- दोहरी पावर ग्रिड नेटवर्क में एक नेटवर्क की लागत की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी
- परियोजना चालू होने पर 25 साल के लिए बिजली की अंतराज्यीय खरीद पर व्हीलिंग शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पांच साल तक हर साल 60 लाख रुपये
- प्रति छात्र 20 हजार रुपये की सहायता अधिकतम पांच साल के लिए 500 छात्र
- स्तरीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने को कंपनियों को अधिकतम एक करोड़ रुपये
- अंनुसंधान के लिए 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम दस करोड़ रुपये तक

निजी एमएसएमई पार्कों को परिवर्तन शुल्क नहीं पड़ेगा

योगी सरकार ने प्लेज योजना के तहत बनने वाले निजी एमएसएमई पार्कों को और बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अब विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाली जमीन को अपने हक में भू परिवर्तन कराने वाली निजी एमएसएमई यूनिट को परिवर्तन शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

कैबिनेट ने इस बाबत एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कृषि भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में, एमएसएमई पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था के लिए 'उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति -2022' संशोधन किया गया है। अब इसमें कोई भी बदलाव मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर हो सकेगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में भू -उपयोग परिवर्तन शुल्क में दी गयी छूट स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

नक्शा पास कराने का शुल्क 20% तक बढ़ाया

उत्तर प्रदेश आवास विकास ने प्रदेश की अपनी सभी योजनाओं में नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया है। इनमें कुछ मदों में 20 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ायी गयी हैं तो कुछ में इससे अधिक। मानचित्र शुल्क की दरों को कास्ट इण्डेक्स से भी लिंक कर दिया गया है। इससे अब प्रति वर्ष कास्ट इंडेक्स के अनुसार मानचित्र शुल्क की दरें बढ़ जाएंगी। इसी के साथ अब लोग परिषद की योजनाओं के 150 वर्गमीटर व इससे बड़े भूखण्डों में फ्लैट बना सकेंगे। आवास विकास अपने रिक्त फ्लैटों की कीमतें फरवरी के अंत तक 0.25 प्रतिशत बढ़ा देगा। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी मिल गयी।

आवास विकास की लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सहित सभी शहरों की आवासीय योजनाओं में मानचित्र पास कराने वालों को ज्यादा कीमतें चुकानी होगी। मानचित्र के भवन निर्माण निरीक्षण शुल्क को 20 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 24 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह सुदृढ़ीकरण शुल्क 106 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 127 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया है।

STAG INTERNATIONAL
Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.i

मेट्रो की संपत्तियों पर कई तरह के शुल्क माफ

राज्य सरकार ने यूपी में मेट्रो रेल और रैपिड रेल (आरआरटीएस) को बढ़ावा देने के लिए उनकी संपत्तियों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, विज्ञापन लाइसेंस शुल्क और पार्किंग शुल्क को माफ़ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और नोएडा में मेट्रो रेल चल रही है। आगरा में जल्द ही मेट्रो रेल का संचालन शुरू होना है। इसके अलावा भविष्य में अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की योजना है। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल चल रही है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तर्क दिया है कि मेट्रो रेल परियोजना के लिए तैयार की गई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रावधान है कि संबंधित राज्य सरकारें वाणिज्यिक विकास, पार्किंग, व विज्ञापन लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगी।

आठ रेंजों बांटी गई अग्निशमन एवं आपात सेवा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली- 2024 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब फायर सर्विस को अग्निशमन एवं आपात सेवाएं कहा जाएगा और इसे प्रदेश में आठ रेंज मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में बांटकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसी के साथ ड्यूटी के दुर्घटना होने की स्थिति कर्मचारी के आश्रितों को असाधारण पेंशन दी जाएगी।

व्यावसायिक होंगे नगर के बीच आने वाले औधोगिक भूखंड

छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन के साथ- साथ एमएसएमई विभाग राहत भी देगा। एमएसएमई नीति के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आने वाले औधोगिक भूखंडो को व्यावसायिक भूखंडो में बदला जा सकेगा। इस फैसले से एक तरफ शहरी क्षेत्र के बीच

में आने वाली इकाइयां बाहर होंगी, वही व्यावसायिक भूखंड का दर्जा मिलने से उधमियों को राहत मिलेगी। पिछले दस साल से उधमी इसकी मांग कर रहे थे। विकास प्राधिकारणों की सहमति के बाद इसे अमल में लाया जाएगा।

प्रदेश के जिलों में स्थापित औधोगिक आस्थान आज शहरी क्षेत्र के बीच में आ गए हैं। आबादी में आने के बाद हजारों भूखंडो में फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही है। अब शहर के बीच में आ गए ऐसे भूखंडो में सेवा क्षेत्र या व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक जरुरी कदम उठाए जा रहे है। ये नीति तंबाकू, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, पटाखे, 40 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक बैग आदि की इकाइयों पर लागू नहीं होगी।

एमएसएमई का कायाकल्प

प्रदेश में छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई नीति से एमएसएमई सेक्टर का कायाकल्प हो रहा है। उद्यमियों के लिए सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावी निगरानी की जा रही है। भूखंड उपयोग का परिवर्तन भी इसी का हिस्सा है। नई इकाइयों की स्थापना, पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर 15% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।

एमएसएमई नीति: उद्यमियों को कई सुविधाएं

- कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और रिसर्च व डिजायन सर्विस भी एमएसएमई नीति के दायरे में
- कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 10 फीसदी जमीन की कीमत
- इसमें जमीन का क्रय मूल्य जोड़ा जाएगा। स्टांप शुल्क नहीं जुड़ेगा
- कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 10% भवन निर्माण की मद में
- आवंटित भूखंड पर किसी कारणवश फैक्टरी न लगा पाने की स्थिति में जमा धनराशि और भूखंड वापसी की प्रक्रिया आसान बनाया जाएगा।

- वर्तमान औधोगिक इलाकों के रखरखाव सुविधाओं के लिए उधमियों के सहयोग से एसपीवी का गठन किया जाएगा। एसपीवी में सरकार भी योगदान देगी।
- नगर निगमों द्वारा औधोगिक इकाइयों से लिए जा रहे हाउस टैक्स संबंधी नीति को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
- छोटी इकाइयों को दो करोड़ तक लोन बैंक बिना गारंटी के देंगे। गारंटी के लिए जरुरी वन टाइम फ़ीस का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

सीएम योगी ने दी हरी झंडी, तीन को बांटेंगे वित्तीय मदद, मथुरा, मेरठ, सीतापुर व अमरोहा के लिए सरकार ने मंजूरी दे है

मेरठ समेत चार जिलों में औधोगिक पार्क बनेंगे

यूपी में प्लेज योजना के तहत निजी जमीन पर सात और औधोगिक पार्क बनने जा रहे हैं। इनमें से चार पार्क मथुरा, मेरठ, सीतापुर व अमरोहा सरकार मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां औधोगिक पार्क विकसित करने के लिए डवलपर को जरुरी धनराशि का वितरण इसी तीन जनवरी को करेंगे।

यहां औधोगिक पार्क विकसित करने के लिए डवलपर को एक प्रतिशत ब्याज पर सरकार लोन देगी। इस धनराशि का उपयोग निवेश परियोजना के लिए जरुरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में होगा। इसमें जमीन समतल करना, चाहरदीवारी बनाना, सड़क, सीवर, पानी, एसटीपी विकसित करना शामिल है। न्यूनतम 10 उद्योग लगने की शर्त के साथ इस पार्क को सरकार ने मंजूरी दी है। यहां सिडबी डवलपर को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा श्रावस्ती व उन्नाव में भी निजी व विकासकर्ताओं ने अपनी जमीन पर औधोगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। यही नहीं मथुरा में भी एक और डवलपर ने अपनी जमीन का प्रस्ताव भेजा है। इस तरह तीन पार्क के लिए जरुरी औपचारिकताओं को पूरी करने का काम एमएसएमई विभाग कर रहा है। यह सारे पार्क प्लेज योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं।

सीएम इसका भी शिलान्यास करेंगे

लखनऊ के गोमतीनगर में निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक हेरिटेज मॉल बनेगा। इसमें हस्तशिल्प, कलाकृतियां, ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित होंगे। यहां हस्तशिल्पी व कारीगर निर्यातकों से मिल कर आर्डर ले सकेंगे। सीएम इसका भी शिलान्यास करेंगे।

हजारों एमएसएमई को दिया जाएगा ऋण

मुख्यमंत्री हजारों इकाइयों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने को 51 हजार करोड़ रूपये का लोन वितरित करेंगे। पहली बार एक साथ एमएसएमई इकाइयों को इतनी बड़ी धनराशि लोन के रूप में दी जाएगी। प्रतीकात्मक तौर पर वह पांच एमएसएमई उधमियों का ऋण का चेक देंगे।

ईपीएफओ: जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि जन्मतिथि को सत्यापित करने के लिए Adhar Card अब मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि सत्यापित करने की सूची से बाहर कर दिया है। इस कदम के बाद EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स जन्मतिथि को अपडेट करने या उसमें सुधार के लिए अब Adhar Card का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

UIDAI ने हाल ही में सर्कुलर में कहा था, आधार कार्ड 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी है। इसे भारत सरकार ने जारी किया है। यह देश में किसी व्यक्ति की पहचान और उसके स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान के सत्यापन के लिए हो सकता है। लेकिन, यह जन्मतिथि का सबूत नहीं है। इसलिए, जन्मतिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार को बाहर किया गया है।

जन्मतिथि को वैध दस्तावेज

- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी जन्म प्रमाणपत्र।
- मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मार्कशीट।
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्मतिथि हो।
- केंद्र या राज्य के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र।
- आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड।
- सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
- सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र।

एमएसएमई को बढ़ावा देने पर चीन होगा फेल: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पांच लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधम (एमएसएमई) इकाइयों को 51 हजार करोड़ रूपये के ऋण वितरण का शुभांरभ किया। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने कभी हताशा, निराशा और अराजकता का शिकार रहे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में उत्साह व आत्मविश्वास का संचार किया है। इन योजनाओं की बदौलत एमएसएमई सेक्टर ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। पिछले पौने सात वर्षों में उप्र छठे और सातवें स्थान से देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है अगले एक दशक में हमे उप्र को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। यदि एमएसएमई सेक्टर को उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइनिंग और

मार्केटिंग में समुचित सहयोग दिया गया तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों के आगे चीन भी फेल हो जाएगा।

लोकसभा के सभागार में एमएसएमई विभाग की ओर से आयोजित मेगा ऋण वितरण समारोह में योगी ने कहा कि हस्तशिल्पियों व एमएसएमई उद्यमियो ने प्रदेश के निर्यात को तीन गुणा बढ़ावा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर वोकल फार लोकल के अभियान पर मुहर लगाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। हम लकीर के फ़क़ीर नहीं बनें। हमने कुछ नया दिया है, लेकिन हमे इससे संतोष नहीं करना चाहिए। हमे उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को नई उड़ान देनी है। हर जिले के उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए। इन उत्पादों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। यह हमे वैश्विक पहचान दिलाएगा। एमएसएमई सेक्टर को लोन देने में बैंकर्स को उदारता दिखाने का आह्वयन करते हुए योगी ने कहा कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। पिछले पौने सात वर्षों में उत्तर प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को 44-45 प्रतिशत से बढ़कर 56-57 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का आभार जताया, लेकिन यह भी कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमे इसे 60 प्रतिशत तक पहुंचाना है और फिर इसे 65 प्रतिशत तक लेकर जाना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 10 उद्यमियों को ऋण के तौर पर दी गई धनराशि के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री ने मथुरा, सीतापुर मेरठ और अमरोहा में प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फार डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन्स) योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले निजी औधोगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को सहायता राशि के चेक भी दिए। ओडीओपी योजना के अंतर्गत संभल, सहारनपुर और मुरादाबाद में विकसित किए गए। सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) का लोकार्पण किया।

- एक दशक में उप्र को बनाएंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- सीएम ने 51 हजार करोड़ रूपये ऋण वितरण का किया शुभारंभ

होटलों का प्रापर्टी टैक्स होगा कम

योगी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों का प्रापर्टी टैक्स कम करने का निर्णय लिया है। अभी तक होटलों का प्रापर्टी टैक्स आवासीय भवनों का छह गुणा तक होता था। अब सरकार ने होटल को उद्योग का दर्जा देते हुए आवासीय भवनों का तीन गुणा टैक्स लेने का निर्णय लिया है। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये हरी झंडी दे दी गई।

अभी होटलों के प्रापर्टी टैक्स की दरें अलग-अलग निर्धारित हैं। यह आवासीय भवनों का छह गुणा तक है। चार सितारा से कम की रेटिंग वाले होटलों से आवासीय का पांच गुणा प्रापर्टी टैक्स लिया जाता है। चार सितारा व इससे अधिक की रेटिंग वाले होटलों से यह छह गुणा वसूला जाता है। जिन होटलों में बार की सुविधा होती है, फिर चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, उनका टैक्स आवासीय भवनों का छह गुणा लिया जाता है। प्रदेश में होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने इन्हें राहत देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में होटलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नगर विकास विभाग ने प्रापर्टी टैक्स कम करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आपत्तियां व सुझाव मांगे थे। इनका प्रापर्टी टैक्स कम करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। प्रापर्टी टैक्स में छूट उन्हीं होटलों को मिलेगी, जो पर्यटन विभाग में पंजीकृत होंगे। अगर किसी होटल का पंजीकरण पर्यटन विभाग में नहीं होगा तो उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। 17 नगर निगमों में जो होटल हैं उसमें वर्ष 2022-23 में 48.36 करोड़ रुपये का प्रापर्टी टैक्स वसूला गया था। प्रापर्टी टैक्स की दरें कम होने से नगर निगमों की आय में कुछ कमी हो सकती है

आवास विकास के मानचित्र और शमन शुल्क में 20% की बढ़ोतरी

प्रदेश भर में अब आवास एवं विकास परिषद की कॉलोनी में निर्माण करने के लिए मानचित्र पर पहले से ज्यादा शुल्क में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि शासनादेश के क्रम में कॉस्ट इंफलेशन इंडेक्स के आधार पर शुल्क की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। मानचित्र एवं शमन

के नए शुल्क जनवरी से ही लागू किए जाएंगे। इन प्रस्ताव को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। वहीं, आवास विकास फरवरी से प्रदेश भर में रिक्त पड़े फ्लैट को बेचने के लिए 15 दिन का विशेष पंजीकरण अभियान चलाएगा। 15 दिन के बाद जो आवेदक पंजीकरण कराएंगे तो उनको लफट फ्लैट की कीमत का 0. 25 फीसदी अतिरिक्त रकम देनी होगी।

गाज़ियाबाद में बनेगा नया औधोगिक क्षेत्र

अपर आवास आयुक्त एंव सचिव ने बताया कि आवास विकास पहली बार गाज़ियाबाद मंडोला विहार योजना में औधोगिक क्षेत्र को विकसित करने जा रहा है। इसके लिए 300- 300 वर्ग मीटर के 250 भूखंडो का आवंटन करेगा। यह भूखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए होंगे। इस औधोगिक क्षेत्र को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इन भूखंडो की कीमत योजना की आवासीय भूमि दर से डेढ़ गुना होगी। इसकी वजह उद्यमियो के लिए सड़के और ट्रैफिक के लिए कई ससंधान बनाने होंगे।

यह प्रस्ताव भी हुए मंजूर

- आवास विकास के कर्मियों एवं पेंशनर्स को एक जुलाई 2023 से 46 फीसदी दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
- आवास विकास में केंद्र एंव राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र कार्यालय और सैन्य क्षेत्र के आईटी सेक्टर के शीर्ष पद से नियमित कार्य करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर अनुबंध के रूप में होगी तैनाती।
- लखनऊ एवं गाज़ियाबाद में ट्रांजिट ओरियंटेड डवलपमेंट स्कीम के तहत मेट्रो व रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूट के दोनों ओर 500- 500 मीटर दायरे में आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण हो सकेंगे। आवास विकास से इस निर्माण के मंजूरी लेनी होगी।
- आवास विकास की कॉलोनी में मकान की जगह पर तीन तल का अपार्टमेंट बना सकेंगे। स्वामी को अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग के लिए जगह छोड़नी होगी। इसके लिए आवंटित जमीन या मकान की कुल कीमत पर 50 फीसदी अधिक शुल्क चुकाना होगा।

Key Interim Budget Announcements - 2024

➡ New solar power schemes launched by PM Modi recently would lead to saving of INR15,000-18,000 per households annually who install roof top solar panels. 1cr households will be enabled to get 300units per month fully free.

➡ PM Awas Yojana Grameen: Close to achieving target of 3 cr homes; 2 cr more homes planned due to growing need.

➡ Ayushmaan Bharat to cover all worker under ASHA scheme.

➡ Government to launch a scheme to help deserving sections of the middle class living in rented houses or slums or chawls and unathorised colonies to buy or build their own houses - Likely positive for Steel, Cement and Building material.

➡ Corpus of 1 lakh crore to be established with 50 year interest free loans for sunrise domains.

➡ Railway corridor-port connectivity under DFC - More than 2 corridors to be set up. Also, 3 more rail corridors for Energy, cement and mineral to be added, apart from DFC.

➡ 40,000 rail bogies to be converted to Vande bharat standards.

➡ The capex target of FY25 has been set at Rs 11.1 lakh crore, up by 11.1%. FY25 capex outlay at 3.4% of GDP.

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx